उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या-296/2024/आई/706870/23-01-2024-96सा0/2010
लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2024

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की धारा-75(बी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल एतद्द्वारा श्री कामता प्रसाद सिंह, तत्कालीन विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं श्री संदीप कुमार, तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के निदेशक मण्डल में निदेशक पद से पदमुक्त करते हुए उनके स्थान पर निम्नलिखित को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 के निदेशक मण्डल में निदेशक नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

क्र0सं0	नाम/पदनाम	निदेशक मण्डल में प्रास्थिति
1	2	3
1.	श्री शेषनाथ, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।	निदेशक
2.	श्री जितेन्द्र कुमार बांगा, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ	निदेशक

प्रभुनाथ
विशेष सचिव

संख्या-296/2024/आई/706870(1)/23-01-2024, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्म्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2 निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3 निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग।
4 प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5 महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष (विकास), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9 सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
10 नियुक्ति अनुभाग।
11 लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग।
12 गार्डफाईल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।